उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी

UPSIDA

क्षेत्रीय कार्यालय
1/13/386, सिविल लाइन्स, अयोध्या
पंजी0कार्या0 : ए–1/4, लखनपुर, कानपुर–208024
दूरभाष : 05278–220294
फैक्स नं0 : 05278–222327
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : rmfaizabad@upsidc.com
सिन नं : U26960UP1961SGC002834
जीएसटी नं : 09AAACU1759K1ZZ

श्री विनोद कुमार,
प्रभारी कम्प्यूटर
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0,
ए–1/4 लखनपुर,
मुख्यालय, कानपुर।

संदर्भ संख्या 3829 /एसआईडीए/आरएम अयो0 दिनाँक 08-3-19

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री लियाकत हसन, सहायक श्रेणी–द्वितीय द्वारा आरोप पत्र प्राप्त न करने के कारण सूचना समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 09.03.2019 के कानपुर, लखनऊ व आगरा संस्करण में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिनांक 09.03.19 को विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आश्वासन दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचना को निगम के वेबसाइट पर दिनांक 09.03.19 को अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

क्षेत्रीय प्रबन्धक

Ltr.

कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
1/13/386, सिविल लाइन्स, अयोध्या

सूचना

इस सूचना के माध्यम से श्री लियाकत हसन, सहायक श्रेणी–द्वितीय, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय आगरा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सूचित किया जाता है कि श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम दिछौली, पो0 पूरबगांव, थाना जगदीशपुर, जनपद सी0एस0एम0 नगर वर्तमान में अमेठी एवं श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली के द्वारा आपके विरूद्ध की गयी शिकायतें दिनांक 26.09.2011 एवं 23.08.2013 के क्रम में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश सं0 5256–59 दिनांक 17.09.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है तथा जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित है। इस सन्दर्भ में आपको आरोप पत्र आपके कार्यालय एवं निवास पर प्रेषित किये गये थे जो तामील नहीं हो सके।

अतः इस सूचना के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप इस कार्यालय में 07 दिन के अन्दर उपस्थित होकर उक्त आरोप पत्र को प्राप्त करते हुये अपना लिखित उत्तर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रश्नगत सूचना प्राधिकरण के वेबसाइट www.upsidc.com तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी वांछित कार्यवाही हेतु उपलब्ध है। निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जायेगा, कि आपके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के उत्तर में आपको कुछ नहीं कहना है, एवं एकतरफा कार्यवाही करते हुये जांच आख्या नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(यू0के0 श्रीवास्तव)
जांच अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक

App-21-6-17